

सम्पादकीय

नशा मुक्त अभियान

देश में नशे नशे के खिलाफ अभियान में विदि 114 वर्षीय धावक फौजा सिंह प्रेरक पदयात्रा कर सकते हैं तो उत्तराखण्ड युवा-बुजुर्ग नहीं नहीं। नशा मुक्त-रंगला पंजाब अभियान के अंतर्गत निकाले गए नशा विरोधी मार्च में मंगलवार को मैराथन धावक फौजा सिंह के साथ ही पंजाब के राज्यपाल अससी वर्षीय गुलाब चंद कटारिया की आठ किलोमीटर की पैलू यात्रा सुखियों में रही। निश्चित रूप से पंजाब सरकार की पहल अनुकरणीय है। इसमें दो राय नहीं कि कोई भी बड़ा सामाजिक बदलाव का आंदोलन व्यापक जन भावादीरों से ही सिरे चढ़ सकता है। आज पंजाब समेत देश के अन्य राज्यों में युवा पीढ़ी जिस भवाव तरीके से नशे के दलदल में धंसती जा रही है, वह गार्ड के लिये एक गंभीर चुनौती है। जिसका मुकाबला सरकारों के साथ आय आयी के जुड़ाव से ही संभव है। निश्चित रूप से ऐसी पदयात्रा सिर्फ राजनीतिक निहितयों और प्रतीकामक रूप से अयोजित नहीं होनी चाहिए। ऐसे अभियान को आंदोलन का रूप देकर इस तार्किक परिणिति का पहुंचावा जाना चाहिए। साथ ही इस तरह के अभियानों से हासिल उपलब्धियों का मूल्यांकन भी जरूरी है। निस्सदैन, औपचारिकताओं के निर्वन और मीडिया में सुखियों बटोरना ऐसे आंदोलन का लक्ष्य तो कलपि नहीं हो सकता। राज्यपाल महोदय का यह कथन सोलह आने सच है कि इस मुंह पर बच्चों को शिक्षित करने के साथ ही महिलाओं की इस आंदोलन में व्यापक भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। निस्सदैन, नशे के नशर से महिलाओं का ममताक धीड़ा सहन करनी पड़ती है। अब चाहे पति हो या बेटा, नशे की लत लगने से पूरा परिवर्त ही संकें में आ जाता है। इसमें दो राय नहीं कि जब पंजाब की नारी शक्ति एकुण होकर इस मुहिम का नेतृत्व करेगी तो पंजाब अपने स्वर्णिण दिनों की ओर लौट सकता है। निश्चित रूप से किसी राज्य या देश की जवानी का नशे के सैलाब में ढूँवा राज्यीय क्षति ही है। इसके लिये नशे की आपूर्ति गोदान से लेकर प्रयोग तक पर निरन्तर की राज्यवापी मुहिम का जरूरत है। निस्सदैन, नशे के तेजी से बढ़ते शिक्षकों से केवल असामिक मौतों, लालाक जीवायियों का खतरा बढ़ता है, बल्कि समाजों का सिलसिला भी तेज हो जाता है। देखें में आया है कि बड़े अपराधों से लेकर चोरी छानाड़पटी की घटनाओं के मूल में नशोरों की भूमिका होती है। कई आपारक घटनाओं के मूल में नशोरों की भूमिका पायी गई है, जो नशे के लिये पेसा जुटाने के लिये बड़ी चुनौती बनता जाता है। निश्चित रूप से समाज विजानों की भी व्यापक अध्ययन करना चाहिए कि विद्यों नई पीढ़ी नशे की ओर तेजी से उत्सुक हो रही है। एक समय था कि पंजाब में आतंक फैलाने के खतरानाक मंसुकों को अंजाम देने के लिये सीमा पार से नशे की बड़ी खेप पंजाब भेजी जाती रही है। चरमपंथीयों को आर्थिक मदद पहुंचाने के लिये भी इस पछायर को सुनियोजित तरीके पाकिस्तान के साथ प्रतिशतों ने अंजाम दिया। हाल के दिनों में बीएसएफ ने पाकिस्तान की सीमा से लगते भारतीय लालोंकों में झेंगे के जरिये नशीले पदार्थों को गिराने की साजिशों पर लगा लगायी है। निश्चित रूप से पलते कदम के रूप में सीमाओं को नशे की तक्षकी से निरापद बनाने की जरूरत है। वहीं हमारी सुरक्षा व्यवस्था में शामिल उन काली धेंडों को भी बेनकाब करने की जरूरत है जो नशे के कारोबार को बढ़ावा दे रही हैं। साथ ही नशे से पीढ़ियों को इस दलदल से बाहर निकालने के लिये नशे मुक्त केंद्रों को स्थापना और पीढ़ियों को मनोजैवायिक उपचार देने की भी जरूरत है। निश्चित रूप से नशे पंजाब के लिये बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। जिसके खिलाफ साझा लड़ाई से ही हम कामबाब हो सकते हैं। सही मायनों में यह स्थिति इस व्यावर्तनशील सीमांतर राज्य के लिये ही चुनौती नहीं है बल्कि यह राज्यीय संकट की भी आहट है। केंद्रीय एजेंसियों व पंजाब के शासन-प्रशासन को पिलकर नशे के समूल नाश के लिये व्यापक अभियान चलाने की जरूरत है।

यूपी में राइट टू एजुकेशन अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में निःशुल्क दाखिले के लिए आवेदन 1 दिसंबर 2024 से शुरू होंगे, यह आवेदन प्रक्रिया 19 मार्च तक चलेगी

मीडिया फॉर यू
मंडल प्रभारी निसार अहमद उमसानी
बलरामपुर
UP RTE

Admission 2024-25 उत्तर प्रदेश में शिक्षा के अधिकारी अधिनियम के तहत प्राइवेट स्कूलों में निःशुल्क एडमिशन की प्रक्रिया 1 दिसंबर 2024 से शुरू होगी। इसकी अधिकारी अधिनियम के लिये नशा विभाग की ओर से मंगलवार को जारी कर दी गई। इस साल ताखिले की प्रक्रिया 1 दिसंबर से शुरू होकर 19 मार्च 2025 तक चलेगी। आवेदन प्रक्रिया पिछले साल की तरह इस साल भी चार चरण में ही संपन्न होगी।

किंतु यूपी में ही अधिकारी अधिनियम के तहत इस दाखिला प्रक्रिया का दिसंबर या शुरू होने के लिए बच्चों की उम्र सीमा भी काफी मात्रा रखेगी। प्री प्राइमरी व पहली कक्षाओं में एडमिशन लेने के लिए बच्चे की उम्र 3 से 7 साल के बीच होनी चाहिए।

किंतु यूपी में ही अधिकारी अधिनियम के तहत इस दाखिला प्रक्रिया का दिसंबर या शुरू होने के लिए बच्चों की उम्र सीमा भी काफी मात्रा रखेगी। प्री प्राइमरी व पहली कक्षाओं में एडमिशन लेने के लिए बच्चे की उम्र 3 से 7 साल के बीच होनी चाहिए।

किंतु यूपी में ही अधिकारी अधिनियम के तहत इस दाखिला प्रक्रिया का दिसंबर या शुरू होने के लिए बच्चों की उम्र सीमा भी काफी मात्रा रखेगी। प्री प्राइमरी व पहली कक्षाओं में एडमिशन लेने के लिए बच्चे की उम्र 3 से 7 साल के बीच होनी चाहिए।

किंतु यूपी में ही अधिकारी अधिनियम के तहत इस दाखिला प्रक्रिया का दिसंबर या शुरू होने के लिए बच्चों की उम्र सीमा भी काफी मात्रा रखेगी। प्री प्राइमरी व पहली कक्षाओं में एडमिशन लेने के लिए बच्चे की उम्र 3 से 7 साल के बीच होनी चाहिए।

किंतु यूपी में ही अधिकारी अधिनियम के तहत इस दाखिला प्रक्रिया का दिसंबर या शुरू होने के लिए बच्चों की उम्र सीमा भी काफी मात्रा रखेगी। प्री प्राइमरी व पहली कक्षाओं में एडमिशन लेने के लिए बच्चे की उम्र 3 से 7 साल के बीच होनी चाहिए।

किंतु यूपी में ही अधिकारी अधिनियम के तहत इस दाखिला प्रक्रिया का दिसंबर या शुरू होने के लिए बच्चों की उम्र सीमा भी काफी मात्रा रखेगी। प्री प्राइमरी व पहली कक्षाओं में एडमिशन लेने के लिए बच्चे की उम्र 3 से 7 साल के बीच होनी चाहिए।

किंतु यूपी में ही अधिकारी अधिनियम के तहत इस दाखिला प्रक्रिया का दिसंबर या शुरू होने के लिए बच्चों की उम्र सीमा भी काफी मात्रा रखेगी। प्री प्राइमरी व पहली कक्षाओं में एडमिशन लेने के लिए बच्चे की उम्र 3 से 7 साल के बीच होनी चाहिए।

किंतु यूपी में ही अधिकारी अधिनियम के तहत इस दाखिला प्रक्रिया का दिसंबर या शुरू होने के लिए बच्चों की उम्र सीमा भी काफी मात्रा रखेगी। प्री प्राइमरी व पहली कक्षाओं में एडमिशन लेने के लिए बच्चे की उम्र 3 से 7 साल के बीच होनी चाहिए।

किंतु यूपी में ही अधिकारी अधिनियम के तहत इस दाखिला प्रक्रिया का दिसंबर या शुरू होने के लिए बच्चों की उम्र सीमा भी काफी मात्रा रखेगी। प्री प्राइमरी व पहली कक्षाओं में एडमिशन लेने के लिए बच्चे की उम्र 3 से 7 साल के बीच होनी चाहिए।

किंतु यूपी में ही अधिकारी अधिनियम के तहत इस दाखिला प्रक्रिया का दिसंबर या शुरू होने के लिए बच्चों की उम्र सीमा भी काफी मात्रा रखेगी। प्री प्राइमरी व पहली कक्षाओं में एडमिशन लेने के लिए बच्चे की उम्र 3 से 7 साल के बीच होनी चाहिए।

किंतु यूपी में ही अधिकारी अधिनियम के तहत इस दाखिला प्रक्रिया का दिसंबर या शुरू होने के लिए बच्चों की उम्र सीमा भी काफी मात्रा रखेगी। प्री प्राइमरी व पहली कक्षाओं में एडमिशन लेने के लिए बच्चे की उम्र 3 से 7 साल के बीच होनी चाहिए।

किंतु यूपी में ही अधिकारी अधिनियम के तहत इस दाखिला प्रक्रिया का दिसंबर या शुरू होने के लिए बच्चों की उम्र सीमा भी काफी मात्रा रखेगी। प्री प्राइमरी व पहली कक्षाओं में एडमिशन लेने के लिए बच्चे की उम्र 3 से 7 साल के बीच होनी चाहिए।

किंतु यूपी में ही अधिकारी अधिनियम के तहत इस दाखिला प्रक्रिया का दिसंबर या शुरू होने के लिए बच्चों की उम्र सीमा भी काफी मात्रा रखेगी। प्री प्राइमरी व पहली कक्षाओं में एडमिशन लेने के लिए बच्चे की उम्र 3 से 7 साल के बीच होनी चाहिए।

किंतु यूपी में ही अधिकारी अधिनियम के तहत इस दाखिला प्रक्रिया का दिसंबर या शुरू होने के लिए बच्चों की उम्र सीमा भी काफी मात्रा रखेगी। प्री प्राइमरी व पहली कक्षाओं में एडमिशन लेने के लिए बच्चे की उम्र 3 से 7 साल के बीच होनी चाहिए।

किंतु यूपी में ही अधिकारी अधिनियम के तहत इस दाखिला प्रक्रिया का दिसंबर या शुरू होने के लिए बच्चों की उम्र सीमा भी काफी मात्रा रखेगी। प्री प्राइमरी व पहली कक्षाओं में एडमिशन लेने के लिए बच्चे की उम्र 3 से 7 साल के बीच होनी चाहिए।

किंतु यूपी में ही अधिकारी अधिनियम के तहत इस दाखिला प्रक्रिया का दिसंबर या शुरू होने के लिए बच्चों की उम्र सीमा भी काफी मात्रा रखेगी। प्री प्राइमरी व पहली कक्षाओं में एडमिशन लेने के लिए बच्चे की उम्र 3 से 7 साल के बीच होनी चाहिए।

किंतु यूपी में ही अधिकारी अधिनियम के तहत इस दाखिला

